

प्रकार नम्बर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस  
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,  
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट:-

1. श्री विक्रम सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह सोलंकी निवासी 329, भोईवाडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमती शैलबाला कुंवर पत्नी श्री विक्रम सिंह सोलंकी, निवासी 329, भोईवाडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्री प्रकाश चंद्र पुत्र श्री कचरा निवासी 64, मुकाम नवा पदार, मोराडी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 21.03.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री विक्रम सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह सोलंकी निवासी 329, भोईवाडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2- श्रीमती शैलबाला कुंवर पत्नी श्री विक्रम सिंह सोलंकी, निवासी 329, भोईवाडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी) 3- श्री प्रकाश चंद्र पुत्र श्री कचरा निवासी 64, मुकाम नवा पदार, मोराडी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (जमानती) को दिनांक 05.04.2016 व 12.12.2016 को राशि रुपया 3,50,000 (अक्षरे तीन लाख पचास हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 15.05.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 30-06-2021 तक कुल बकाया ऋण राशि 2,70,710 रु. (अक्षरे दो लाख सत्तर हजार सात सौ दस मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री विक्रम सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह सोलंकी की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 64/2003, ग्राम गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सभी



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

अभिन्न अग है, जिसका माप लगभग 1320 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में दिनेश का प्लॉट, पश्चिम में शिव पुत्र श्री नाथु सईस का मकान, उत्तर में सुर्य सिंह पुत्र जय सिंह का मकान, दक्षिण में श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह का मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।


वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एसआरजी हाउसिंग फायनेस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 16-07-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। दिनांक 11.02.2022 को अप्रार्थी सं. 1 श्री विक्रम सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह सोलंकी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 ने आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं। अतः दिनांक 21.03.2022 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब बंद किया गया तथा शेष अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अवल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।




  
डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(अंकित कुमार सिंह)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)